भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबन्धन विभाग
चंडीगढ़

<u>निविदा सूचना</u>

<u>अधिकारी लाउंज तथा स्टाफ कैंटीन के लिए ठेकेदार की आवश्यकता</u>

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग,चंडीगढ़-160017 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर -17, चंडीगढ़ में स्थित अधिकारी लाउंज तथा स्टाफ कैंटीन के अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों को केटरिंग सेवाएं देने के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी केटरर्स/फूड चेन्स (जो आगे वेंडर के रूप में उल्लिखित है) से मुहरबंद आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह सेवा ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसमें बैंक के पूर्ण निर्णय पर अगले दो वर्षों, एक समय पर एक वर्ष, के लिए ठेका नवीनीकरण का विकल्प होगा ।

केवल वही वेंडर आवेदन कर सकते हैं जिनके पास होटल/रेस्तरां/फूड प्लाज़ा /स्टाफ कैंटीन/आउटलेट चलाने का तीन वर्ष का अनुभव हो। सामान्य नियम व शर्तों के साथ आवेदन फार्म भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, सेक्टर -17,चंडीगढ़-160017 से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह "निविदा' मॉड्यूल के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।

निविदा मुहर बंद लिफाफों में दो भागों में अलग –अलग अर्थात भाग -I तथा भाग –II में प्रस्तुत करनी होगी जिस पर एक के ऊपर लिखा जाना है " **भारतीय रिज़र्व बैंक,चंडीगढ़ में अधिकारी लाउंज तथा डाईनिंग रूम (ओएलडीआर) तथा स्टाफ कैंटीन में कैटरिंग के लिए निविदा – तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली , भाग -1"** तथा दूसरे पर ""**भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में अधिकारी लाउंज तथा डाईनिंग रूम (ओएलडीआर) तथा स्टाफ कैंटीन में कैटरिंग के लिए निविदा – मूल्य बोली, भाग –II "** क्रमश: इन्हें क्षेत्रीय निदेशक,भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ़ के पते **पर 30 <u>जून</u> 2018 को 5:00 बजे साय:** तक भेजा जाना है ।

टेलीग्राफिक ,फैक्स तथा ई-मेल निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुहरबंद लिफाफे के बाएँ ओर एकदम नीचे ठेकेदार का पूरा नाम, डाक पता, ई-मेल पता तथा टेलीफैक्स /टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए।

बैंक के पास बिना किसी कारण दर्शाये किसी एक या सभी आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार है।

क्षेत्रीय निदेशक

अस्वीकरण/डिस्क्लेमर

भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, चंडीगढ़ ने इच्छुक पार्टियों के लिए इस परियोजना पर पृष्ठभूमि जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है तथा यह उम्मीद रखते हैं कि यह जानकारी सही दी गई है, इसके बावजूद ना तो भारतीय रिज़र्व बैंक ना ही इसके प्राधिकारी या एजेंसी और ना ही इसके संबन्धित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट्स या परामर्शदाता कोई आश्वासन या कोई रीप्रेन्संटेशन व्यक्त करते/देते हैं कि इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या कोई और जानकारी जो इसके संबंध में दी गई हो, पूरी या सही है।

यह जानकारी परिपूर्ण होने के प्रयोजनार्थ नहीं दी गई है। इच्छुक पार्टियों से यह अपेक्षा है कि वे अपनी स्वयं जानकारी हासिल करें तथा उत्तरदायियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे लिखित में पुष्टि करें कि उन्होनें ऐसा किया है तथा वे निविदा प्रस्तुत करने में आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी पर आश्रित नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके प्राधिकारियों या एजेंसियों या इसके कोई संबन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंट्स या परामर्शदाताओं पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास परियोजना को आगे पूर्ण न करने या परियोजना के ढांचे में बदलाव करने, इस दस्तावेज़ में दिये समय सारणी में फेर बदल करने या लागू प्रक्रिया व प्रणाली बदलने का अधिकार सुरक्षित है। उसके पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह किसी भी इच्छुक पार्टी के साथ मामले पर चर्चा करने से इंकार कर दें।

इसमें इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबन्धन विभाग
चंडीगढ़

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक सेक्टर 17,चंडीगढ़ में अधिकारी लाउंज तथा स्टाफ कैंटीन में केटरिंग सेवाएं देने के लिए निविदा</u>

सूची

क्रम	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	**निविदा का फार्म**	4-6
2	**निविदाकारों के लिए सामान्य अनुदेश एवं विशेष शर्तें**	7-10
3	**नियम व शर्तें**	11-19
4	**तकनीकी बोली (अनुलग्नक) भाग** I	20-21
5	**फर्म के पत्र शीर्ष पर निविदाकार से पत्र (अनुलग्नक** II)	22
6	**ओएलडीआर के लिए मेनू (अनुलग्नक** III)	23-27
7	**स्टाफ कैंटीन के लिए मेनू (अनुलग्नक** IV)	28-29
8	**वित्तीय बोली (भाग** II)	30-33

निविदा फार्म

स्थान :
दिनांक :

श्रीमती रचना दीक्षित
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग
चंडीगढ़

आदरणीय मैडम ,

इसके बाद तैयार ज्ञापन में विनिर्दिष्ट किए कार्यों के संबंध में विनिर्देशों, अपेक्षाओं तथा नियम व शर्तों की जांच करने व समझने तथा इस कथित ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों के स्थान पर जाकर मुआयना करने तथा इस निविदा से संबन्धित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं /हम एतदद्वारा लिखित में यह प्रस्ताव करता हूँ/करते हैं कि मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर कथित ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों को उक्त ब्योरों तथा अनुदेशों जो कि निविदा की शर्तों, विशेष शर्तों, मात्राओं की अनुसूची तथा संविदा की शर्तों में तथा ऐसी शर्तों के अनुरूप अन्य सभी प्रकार से लागू हो सकती हैं, के अनुसार इन कार्यों को पूरा करूंगा/करेंगे ।

		ज्ञापन
(a)	**कार्य का विवरण** -	भारतीय रिज़र्व बैंक सेक्टर 17,चंडीगढ़ में अधिकारी लाउंज तथा स्टाफ कैंटीन में केटरिंग सेवायें देना
(b)	कार्य की अनुमानित लागत	` रु.35,00,000/-
(c)	धरोहर राशि जमा	`रु. 1,00,000/-
(d)	संविदा की अवधि	शुरुआत में ठेका एक वर्ष के लिए अवार्ड किया जाएगा। बाद में इसे ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य /सेवाओं को देने के आधार पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
(e)	दरें	अनुलग्नक III/IVके अनुसार आइटम/मेनू के लिए दरें कोट की जानी है। यह दरें मौजूदा बाज़ार दरों के अनुसार रहेंगी। इसके अतिरिक्त, कोट किए गए दरों के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी ।

2. मैं/हम कार्य के कार्यक्षेत्र/प्रकृति तथा निविदा दस्तावेज़ में दी गई नियम व शर्तों के अनुरूप मेरी/हमारी सेवाएँ देने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं । मैं/हम पुष्टि करते हैं कि इस निविदा दस्तावेज़ में दी गई सभी नियम व शर्तों की पुष्टि करते हुए मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है ।

3. मैं/हम निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित अनुसार निर्धारित प्रोफॉर्मा में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं ।

4. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, मैं /हम एतदद्वारा यह सहमति देता हूँ /देते हैं कि जहां भी संविदा की कथित शर्तों के नियम व प्रावधान लागू होंगे, उनका पालन किया जाएगा व पूरे किए जाएंगे या उनमें चूक होने पर ईएमडी जब्त होगी तथा कथित शर्तों में उल्लिखित राशि भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान की जाएगी।

5. मैं/हम यह सहमति देते हैं कि निविदा के भाग I के खुलने की दिनांक से 90 दिनों की अवधि के लिए या निविदा के फाइनल होने की दिनांक तक, जो भी पहले हो, हमारी निविदा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए मान्य/वैध रहेगी।

6. मैं/हम एतदद्वारा यह भी घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे विरुद्ध पुलिस/अदालत/विनियामक प्राधिकरणों में कोई मामला दर्ज नहीं है। तथा मुझे/हमें किसी कारणवश किसी संगठन द्वारा ना तो निरस्त /सूची से बाहर/ब्लैकलिस्ट किया गया है, ना ही किसी कारणवश कोई कार्रवाई लंबित रही है या विचारधीन रही है। मैं /हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म या कोई भी भागीदार किसी घोटाले या निबटा दी गई या निर्णयाधीन अनुशासनिक कार्रवाईयों में लिप्त नहीं रहे हैं।

7. मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक,चंडीगढ़ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना किसी कारण बताए पूर्ण या अंशत किसी एक या सभी निविदाओं को स्वीकार या निरस्त कर सकते हैं।

8 इच्छुक निविदाकर्ताओं को चंडीगढ़ पर देय भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में डीडी/पीओ जमा करते हुए धरोहर राशि जमा के रूप में राशि रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख केवल) भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, चंडीगढ़ -160017 के पास जमा करनी होगी। निविदा फॉर्म के भाग 1 के साथ डीडी संलग्न किया जाएगा।

4. हमारी फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम :

i) ____

ii) ____

5. हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत फर्म के भागीदारों के नाम ______________________________
____

या

संविदा पर हस्ताक्षर करने हेतु पावर ऑफ अटार्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम
(पावर ऑफ अटार्नी की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ______________________________

भवदीय/भवदीया

ठेकेदार के हस्ताक्षर

[नोट: यदि पार्टी स्वामित्व फर्म या व्यक्ति के रूप में है तो इसे स्वामी या उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यदि पार्टी भागीदारी फर्म है तो इसे सभी या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किया जाए। यदि पार्टी प्राइवेट लिमिटेड फर्म/निगमित कंपनी है तो .... को आयोजित बैठक में इसके निदेशक मण्डल द्वारा पारित संकल्प के अनुपालन में फर्म की कॉमन सील लगायी जाए (संकल्प की प्रति संलग्न की जाए) I यदि ठेकेदार कॉमन सील के अंतर्गत हस्ताक्षर करता हैं, संस्था के अंतर्नियम में दिये सील के खंड से हस्ताक्षर खंड मिलना चाहिए)

<u>**साक्ष्य**</u>

(1) नाम,पते तथा दिनांक के साथ हस्ताक्षर ________________________________

____

____

(2) नाम ,पते तथा दिनांक के साथ हस्ताक्षर ________________________________

____

निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश तथा विशेष शर्तें

निविदा की जारी /प्रस्तुति एवं योग्यता मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर-17, चंडीगढ़ में स्थित अधिकारी लाउंज तथा स्टाफ कैंटीन** के अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों को केटरिंग सेवाएं देने के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी फ़र्मों/कंपनियों से निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, यह निर्धारित संविदागत दायित्वों अनुसार शुरुआती रूप से एक वर्ष के लिए है। हालांकि यह ठेका आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि फर्म/कंपनी द्वारा कार्य /केटरिंग सेवाएं संतोषप्रद रूप से प्रदान की गई हो तथा संविदा के दायित्वों का पूरा पालन किया गया हो।

1.1. निविदा दस्तावेज़ न तो प्रस्ताव पत्र है न ही कानूनी संविदा है बल्कि यह भावी ठेकेदारों से प्रस्ताव के लिए एक आमंत्रण है । जब तक कि एक औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर न हो तथा आरबीआई के विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों तथा संविदाकारों द्वारा निष्पादित न हो जाए, इस निविदा –प्रक्रिया से बैंक की ओर से कोई संविदागत दायित्व नहीं उत्पन्न होगा। इसके अलावा, इस निविदा के जवाब की तैयारी में ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी व्यय के लिए आरबीआई ज़िम्मेवार नहीं होगा। इस निविदा में शामिल किए गए किसी भी आइटम की प्राप्ति के लिए या ठेकदार के प्रस्ताव को स्वीकृत या निरस्त करने के कारणों पर चर्चा करने के लिए बैंक द्वारा किए बिना किसी दायित्व के ठेकेदार का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वेंडरों द्वारा उनके प्रस्तावों में दी गई सभी जानकारी सख्त रूप से गोपनीय मानी जाएगी ।

1.2 योग्यता मापदंड पूरा करने वाले तथा निविदा के भाग II को खोलने के लिए योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं को प्रति वर्ष रु 35 लाख (लगभग) की अनुमानित लागत के केटरिंग कार्यों के लिए बैंक द्वारा पैनल में शामिल किया जाएगा ।

1.3 **निविदा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम दिनांक 30 जून 2018 को 17:00 बजे तक है।** जांच के बाद, यदि कोई ठेकेदार अपेक्षित योग्यता के साथ नहीं पाया गया तो आगे की प्रोसेसिंग के लिए उनके निविदाओं को बैंक द्वारा स्वीकारा नहीं जाएगा। बैंक बिना किसी कारण बताए किसी भी बोली को निरस्त करने का अधिकार रखता है ।

1.4 इसके समर्थन में योग्यता मापदंड तथा दस्तावेजी प्रमाण :

वेंडर भारत में स्थित होना चाहिए । हालांकि, चंडीगढ़ आधारित वेंडरों को वरीयता दी जाएगी। निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा तथा उनके पूर्ववृत की जांच करने के लिए भाग I में निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना होगा । निर्धारित की गई अहर्ता मानदंड से संतुष्ट होने के बाद ही भाग II (मूल्य बोली) खोली जाएगी :

(a)	फर्म का गठन	ठेकेदारों की फर्म के गठन (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति है या एक भागीदार फर्म या कंपनी इत्यादि) का विस्तार से पूरा ब्योरा जिसमें नामों तथा भागीदारों के पतों, संस्था के अंतर्नियम /पावर ऑफ अटार्नी /अन्य संबन्धित दस्तावेज़
(b)	पंजीकरण	दस्तावेजी प्रमाण के रूप में श्रम कानून के तहत विभिन्न पंजीकरण जैसे कि पैन, टीआईएन, जीएसटीआईएन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, पीएफ़ पंजीकरण,पंजीकरण की प्रतियाँ प्रस्तुत की जाए। वेंडर को इस तरह का कार्य करने के लिए संबन्धित सांविधिक प्राधिकरण या किसी संबन्धित प्राधिकारी से मांगने पर लाइसेन्स/परमिट/अनुमोदन इत्यादि आरबीआई के स्थानीय कार्यालय (यदि लागू हो) को देना होगा । उनके पास श्रम क़ानूनों के तहत श्रमिक लगाने के लिए आवश्यक लाइसेन्स भी होना चाहिए। वेंडर को न्यूनतम मजदूरी इत्यादि सहित सभी लागू देश

		के क़ानूनों/नियमों का पालन करना होगा। वेंडर किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए एकमात्र रूप से जिम्मेवार होगा।

(c)	अनुभव: बैंक की इतनी कर्मचारी संख्या वाले प्रतिष्ठित संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में केटरिंग सेवाएँ देने के लिए 31 मार्च 2018 तक (पिछले 5 वर्षों के दौरान) कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। दस्तावेजी प्रमाण के रूप में श्रम कानूनों के तहत पंजीकरण प्रस्तुत किया जाए।	कार्य अनुभव का विवरण कार्य आदेशों तथा कार्य समाप्ती प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित किया जाए ग्राहक-वार कार्यों के नाम, अवार्ड किए कार्य निष्पादन वर्ष, कार्य प्रारम्भ तथा समाप्त करने की दिनांक तथा निष्पादित कार्यों की लागत आवेदक पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का विवरण दिखाने वाले उनकी ग्राहक रिपोर्ट को तथा वर्तमान एक्स्युकुटिव की सूची प्रस्तुत करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी केंद्र पर यदि कोई कार्य किए गये है का पिछला अनुभव का दस्तावेजी प्रमाण का ब्योरा भी दिया जाए।
(d)	ठेकेदार की ऋण पात्रता, 31 मार्च 2018 को समाप्त पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान ठेकेदार का वार्षिक टर्न ओवर **25 लाख या अधिक** होना चाहिए	अपनी ऋण पात्रता के प्रमाण के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित ठेकेदार के व्यवसाय के अंतिम लेखा के साथ आयकर क्लियरेंस प्रमाणपत्रों /आय कर निर्धारण आदेशों /आईटी रिटर्नों की प्रतियाँ संलग्न की जाए तथा पिछले तीन वर्षों के टर्न ओवर की प्रतियाँ भी दें
(e)	बैंकरों तथा उनके संपर्क एक्स्युकुटिव के नाम तथा पते	अपने बैंकरों के नामों व पतों के बारे में पूरी लिखित जानकारी दें तथा संपर्क हेतु एक्स्युकुटिव (अर्थात वे व्यक्ति जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बैंक द्वारा उनके बैंकरों के कार्यालय पर संपर्क किया जा सके) के पूरे ब्योरे जैसे कि नाम, डाक पते, ईमेल ,टेलीफोन (लैंडलाइन व मोबाइल) नंबर, फैक्स आदि प्रस्तुत करें
(f)	एनईएफ़टी द्वारा भुगतान पाने के लिए बैंक खातों तथा अंडरटेकिंग का विवरण	अपने बैंक खाते के पूरे विवरण दें जैसे कि खाते नंबर, कब खोला गया, आईएफ़एससी कोड आदि दिया जाए। निविदाकर्ता फर्म/कंपनियों का अनुसूचित बैंकों में चालू खाता होना चाहिए तथा यह वचनबद्धता देंगे कि वे नैशनल इलेक्ट्रोनिक फंडस ट्रांसफर (एनईएफ़टी) के माध्यम से भुगतान लेने के लिए तैयार है
	आरबीआई/एमएनसी/सरकारी संस्था जिसे कार्य/सेवाएँ दी गई हो, यदि कोई है, के नाम तथा पते	संबन्धित आरबीआई कार्यालय/पीएसयू/एमएनसी/सरकारी संस्था से करारनामे की प्रति कार्य संतुष्टि का प्रमाणपत्र की प्रति

1.5 दो भाग वाली निविदाएं

इच्छुक फर्म / एजेंसियां निविदाएं निर्धारित फार्म में दो भागों में प्रस्तुत करेंगे। निविदा के भाग-I में तकनीकी आवश्यकताएं शामिल होंगी और भाग-II में मूल्य शामिल होगा।

1.5.1 प्रति बोलीकर्ता केवल एक बोली – प्रत्येक बोलीकर्ता स्वयं अथवा किसी संयुक्त उपक्रम में साझेदार के तौर पर अथवा किसी संघ के सदस्य के रूप में केवल एक निविदा ही प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई बोलीकर्ता अथवा किसी संयुक्त उपक्रम का कोई साझेदार अथवा संघ का को सदस्य एक से अधिक बोलियां प्रस्तुत करता है तो उसकी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1.5.2 **पक्ष में प्रचार** – किसी बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने के लिए अपने पक्ष में प्रचार अथवा किसी लाभ का ऑफर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा अन्य कोई प्रलोभन देना भारतीय कानून के अंतर्गत एक अपराध माना जाएगा। इस प्रकार के कार्यों से अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त बोली को अस्वीकार किया जा सकता है ।

1.6 तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली

1.6.1 भाग -1 के साथ इस प्रकार प्रस्तुत की गई निविदा के साथ निम्नलिखित भी शामिल होने चाहिए :

I. 100000/- की राशि का डीडी पीओ /
II. कंपनी निविदा साथ के मुहर की फर्म /दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वालेय व्यक्ति के नाम में मुख्तारनामा / पत्र प्राधिकरण
III. यदि वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तों में यदि कोई विचलन हो तो उसकी सूची

1.6.2 निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने से पहले कार्यस्थल की परिस्थितियों को समझने के लिए सेक्टर 17 स्थित बैंक के कार्यालय भवन का दौरा कर लें।

1.6.3 निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि निविदा केवल निविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट / शामिल संविदा की सामान्य शर्तों और कार्य के विषय-क्षेत्र के आधार पर ही प्रस्तुत की जाए और उसमें कोई विचलन नहीं होना चाहिए। यदि निविदा दस्तावेज दी गई निबंधन एवं शर्तों की स्वीकृति में कोई मूल्य संबंधी निहितार्थ है तो उस पर विचार किया जाएगा और उद्घृत मूल्य भी शामिल किया जाए। निबंधन एवं शर्तो से विचलन वाली निविदा को अस्वीकर कर दिया जाएगा।

1.6.4 सभी सूचनाएं, पत्राचार श्रीमती रचना दीक्षित, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ को प्रस्तुत और संबोधित/के पते पर होनी चाहिए।

1.7 मूल्य

निविदा –भाग –II मूल्य बोली अलग से प्रस्तुत की जाएगी

क. इस भाग में दिए गए फार्मेट में अंकों एवं शब्दों दोनों मे <u>केवल भारतीय रुप</u>ए में मूल्य शामिल होगा। इस भाग में कोई भी अन्य संलग्नक लगाने की अनुमति नहीं है। निविदा में निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन एवं तकनीकी विचलनजाएगा। समझा अमान्य और जाएगा किया नहीं विचार पर निविदा तो है जाता पाया कोई यदि ,

ख. निवादाकारों को दरें भरने के लिए केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अथवा बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए फार्मों का ही उपयोग करना होगा। यदि कोई संलग्न ही पाया जाता है अथवा अहस्ताक्षरित है तो बैंक अपने विवेकाधिकार से उस निविदा को अवैध मान सकता है।

ग. दरें विनिर्दिष्ट कॉलमों में अंकों एवं शब्दों दोनों में भरी जानी चाहिए। निविदा का भाग-II खोलने के पश्चात किसी भी दर अथवा शर्त में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ. उद्धृत की गई दरें संपूर्ण सर्विस लिए के अवधि के वर्ष एक के वृद्धि किसी बिना और जाएगी मानी लिए के कार्य / बाध्यक एवं निश्चितारी मानी जाएगी।

ङ. यदि किसी मद के लिए दर और राशि का मात्रा से मिलान नहीं होता है तो उद्धृत दरों के आधार पर गणना की गई राशि को ही स्वीकार किया जाएगा।

1.8 निविदा खोला जाना

निविदा का भाग I निविदाकर्ताओं या निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधियों ,जो कि वहाँ उपस्थित रहने के इच्छुक हैं, की उपस्थिती में 02 जुलाई, 2018 को 15:00 बजे खोला जाएगा । निविदा का भाग II केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं का खोला जाएगा जो बैंक की अपेक्षाओं को पूरी करते हैं तथा इसे उसी दिनांक को या निविदाकर्ताओं को सूचित करते हुए किसी बाद की दिनांक में खोला जाएगा

1.9 निविदाकर्तागण जो अहर्ता मानदंड पूरे करते हैं तथा निविदा के भाग II खोलने के लिए पात्र/योग्य पाए गए है उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर -17, चंडीगढ़ में स्थित अधिकारी लाउंज तथा स्टाफ कैंटीन के अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों को केटरिंग सेवाएं देने के लिए बैंक द्वारा पैनल में रखा जाएगा।

1.10 बैंक बाध्य नहीं है कि वह निम्नतम निविदा को स्वीकार करें तथा यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह बिना किसी कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी एक निविदा को या सभी निविदाओं को निरस्त कर दें ।

<u>नियम व शर्तें</u>

1. वेंडर को भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17 चंडीगढ़ के मुख्य भवन की चौथी मंजिल स्थित स्थान में अधिकारी लाउंज तथा डाइनिंग रूम (जो ओएलडीआर के रूप में उल्लिखित है) को संचालित करना है। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर वेंडर को यहाँ से तथा/बैंक परिसरों में किसी अन्य स्थान से ओएलडीआर संचालित करने के लिए कहा जा सकता है ।

2. वेंडर भोजन सामग्रियों, पेय पदार्थों तथा रिफ्रेशमेंट की बिक्री तथा तैयारी के संबंध में म्युनिसिपल तथा अन्य विनियमों का पालन करना होगा तथा आवश्यक लाइसेन्स तथा परमिट लेने होंगे तथा वेंडर क्षतिपूर्ति करेगा तथा ओएलडीआर चलाने में इन नियमों या अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का वेंडर द्वारा उल्लंघन करने पर वेंडर बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा ।

3. यह ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी तथा लागू रहेगा तथा बैंक के निर्णय पर इसका नवीनीकरण आगे (3 वर्षों की तक की अवधि के लिए) किया जा सकता है ।

4. अनुमोदित/सहमति प्राप्त दरें एक वर्ष के लिए लागू होंगी तथा यदि आवश्यकता हो, तो इन पर केवल नवीनीकरण के समय पुन: विचार किया जा सकता है। ठेके की अवधि के दौरान दरों में वृद्धि के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. वेंडर बैंक के सभी कार्यदिवसों (अर्थात सोमवार से शुक्रवार) तथा उन अन्य दिनों में जब बैंक आवश्यक समझे, कथित ओएलडीआर का संचालन करेंगे। जैसा कि क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ (जो "क्षेत्रीय निदेशक" के रूप में उल्लिखित है) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, इस ओएलडीआर को इन समयों पर खोला रखा जाएगा।

6. परिसरों, बिजली, पानी, बिजली उपकरणों, फर्नीचर,अन्य जड़ स्टॉक वस्तुओं, क्रॉकरी, कटलरी, बर्तन, गैस स्टोव तथा फिटिंग्स इत्यादि की व्यवस्था करेगा। वेंडर इन सभी आइटमों की रखरखाव तथा फिक्सचर और फिटिंग्स के रखरखाव और मरम्मत के लिए उत्तरदायी रहेगा। वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि कथित ओएलडीआर में रखे उपर्युक्त समान सुरक्षित हैं तथा उनको हुए किसी हानि या नुकसान के लिए बैंक किसी भी तरह ज़िम्मेवार नहीं होगा।

7. इन आइटमों का सत्यापन क्षेत्रीय निदेशक या उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है तथा यदि कोई भी आइटम कम हो या गायब हो या टूट जाता है तो वेंडर से इन आइटमों की वास्तविक कीमत अनुसार इसकी वसूली की जाएगी ।

8. वेंडर ओएलडीआर में केवल एलपीजी का वाणिज्यिक सिलेंडरों का उपयोग करेगा। केरोसिन तेल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग सख्त निषिद्ध है। एलपीजी सिलेंडरों की व्यवस्था की जाएगी तथा ठेकेदार/वेंडर द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। अग्नि सुरक्षा प्राधिकरणों के नियमों का अनुपालन करना वेंडर की जिम्मेवारी होगी ।

9. वेंडर को अधिकारियों की इच्छा अनुरूप स्नैक्स, शाकाहारी तथा मांसाहारी लंच देना होगा । ओएलडीआर में दी जाने वाली खाद्य सामग्रियों का विवरण **अनुलग्नक III में** दिया गया है । आपसी विचार-विमर्श से साप्ताहिक आधार पर मेनू पर निर्णय लिया जाएगा ताकि एक ही आइटम बार-बार न दोहराई जा सके । मेनू को ओएलडीआर में रखे नोटिस बोर्ड पर दर्शाया जाएगा ।

10. बैंक द्वारा दी गई पानी की बोतलों के भंडारण तथा विवरण की व्यवस्था वेंडर करेगा। वेंडर से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह विभिन्न मंजिलों पर स्थित बैंक अधिकारियों के उनके डेस्क पर तथा साथ-साथ अन्य अवसरों जैसे बैठक, सम्मेलनों इत्यादि में पानी की बोतलें वितरित करें । वेंडर को इस प्रकार से वितरित की गई पानी की बोतलों का विवरण क्षेत्रीय निदेशक द्वारा निर्धारित किए फॉर्मेट में प्रस्तुत करना होगा ।

11. वेंडर को विभिन्न मंजिलों पर स्थित बैंक अधिकारियों के उनके डेस्कों पर दिन में कम से कम तीन बार तथा मांग अनुसार चाय/कॉफी देने की व्यवस्था करनी होगी, इस तरह दी गई चाय/कॉफी में साफ-स्वस्थ तरीके का ध्यान रखा जाएगा । इस प्रयोजन हेतु, वेंडर से यह भी अपेक्षा होगी कि वह चार मंजिल स्तर पैंट्रियों पर प्रत्येक में एक पैन्ट्री बॉय की सेवाएं प्रदान करें ।

12. जब कभी भी बैठक इत्यादि जैसे अवसरों पर मांग की जाएगी वेंडर को चाय/कॉफी, स्नैक्स, स्पेशल लंच इत्यादि की व्यवस्था भी करनी होगी।

13. अधिकारियों के डेस्क पर चाय/कॉफी बनाने के लिए जरूरी आइटमों जैसे कि चाय, कॉफी,मिल्क पावडर, चीनी इत्यादि का सेशे तथा पानी की बोतल की भी व्यवस्था वेंडर करेगा । इसके लिए संबन्धित बिलों के आधार पर दिए/आपूर्ति किए आइटमों की वास्तविक कीमत अनुसार वेंडर को भुगतान किया जाएगा ।

14. आपूर्ति की गई खाने की सामग्री,पेय पदार्थों तथा अन्य रिफ्रेशमेंट क्षेत्रीय निदेशक की संतुष्टि अनुरूप (जैसा **अनुलग्नक III में** वर्णित है) सही स्तर की होनी चाहिए । क्षेत्रीय निदेशक या उनके प्रतिनिधि किसी भी ओएलडीआर का निरीक्षण कर सकते हैं तथा भोजन सामग्री या पेय पदार्थों को वहाँ से हटाने के निर्देश दे सकते हैं जो उनके अनुसार खाने में अनुपयुक्त होगी तथा वेंडर को बेझिझक इन निर्देशों का पालन करना होगा। वेंडर उन खाद्य सामग्रियों कि आपूर्ति नहीं करेगा जिन पर क्षेत्रीय निदेशक या उनके प्रतिनिधि ने आपत्ति प्रकट की है।

15. यदि सेवाओं, खाने की समान की गुणवत्ता, कच्चे माल, साफ-सफाई इत्यादि में कोई भी गिरावट आती है तो बैंक के पास यह अधिकार है कि वह दंड लगा दें तथा इस ठेके को समाप्त कर दें । इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय माना जाएगा।

16. वेंडर को यह सुनिश्चित करना है कि ओएलडीआर में दी गई रसोई में तैयार किया जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि रसोई, स्टोर, बर्तन साफ करने की जगह इत्यादि सहित ओएलडीआर में स्वच्छता व स्वास्थ का उच्च स्तर रखा गया है। क्रॉकरी तथा कटलरी की उचित स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाए। कच्चा माल, स्नैक्स तथा अन्य भोजन सामग्री भी उचित व स्वच्छ व स्वस्थ रूप से रखी जाएगी ।

17. वेंडर को ओएलडीआर बंद करने से पहले हर दिन यह सुनिश्चित करना होगा कि डाइनिंग रूम, रसोई, बर्तन साफ करने की जगह इत्यादि साफ हो चुकी है। क्रॉकरी/कटलरी इत्यादि भी स्वच्छ रखी जाए तथा उचित व स्वच्छ

तरीके से व्यवस्थित रखी जाए I वेंडर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खाने की सामग्री का कोई अवशेष तथा कूड़ा सही तरीके से उसी दिन वहाँ से हटाया जाता है I कोई भी अवशेष या कचरे को नालियों में न फेंका जाए और नालियों/पाइप लाइनों को बंद/ब्लॉक न किया जाए और कोई छेड़छाड़ न की जाए।

18. वेंडर कथित ओएलडीआर के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपने खर्च पर कार्य निपुण और अनुभवी व्यक्ति तथा पर्याप्त संख्या में अन्य कर्मचारियों को, जो अनुभवी, निपुण, स्वच्छ, रोग रहित, नम्र तथा (वेंडर द्वारा दी गई वेषभूषा में) अपनी साफ-सुथरी वर्दियों में होंगे, नियोजित करेगा तथा वेंडर कथित ओएलडीआर के इस उद्देश्य के लिए ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध क्षेत्रीय निदेशक द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, को ना तो नियोजित करेगा या ना ही नियोजित करना जारी रखेगा I

19. वेंडर ओएलडीआर में उसके द्वारा नियोजित कार्मिकों का पुलिस सत्यापन करवाएगा तथा निर्धारित समय सीमा में बैंक को उसकी सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा I वेंडर उसके द्वारा नियोजित कार्मिकों मेडिकल व चिकित्सा जांच करवाएगा तथा निर्धारित समय सीमा में बैंक को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रथम बार ठेका अवार्ड करने के दिनांक से एक माह के भीतर इन रिपोर्टों को बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। वेंडर द्वारा जैसे ही या जब भी नए कार्मिक नियोजित किए जाते हैं इन प्रमाणपत्रों/रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाएगा I वेंडर किसी भी ऐसे कार्मिक को नियोजित नहीं करेगा जिसका प्रतिकूल पुलिस रिकार्ड है या उसे कोई संक्रामक बीमारी से ग्रस्त है।

20. वेंडर अपने कार्मिकों को उचित वेशभूषा देगा I वह अपने कार्मिकों को जल्दी –जल्दी बार –बार नहीं बदलेगा। बैंक के पास यह अधिकार है कि उपयुक्त नहीं पाये गए कार्मिक को वेंडर से बदलवाने के लिए कहे। बैंक के पास यह भी अधिकार सुरक्षित है कि वह वेंडर द्वारा नियोजित कार्मिकों के विवरण की मांग करें।

21. कथित ओएलडीआर बैंक के अधिकारियों तथा बैंक द्वारा प्राधिकृत/अनुमत व्यक्तियों के लिए एक्स्ल्युसिव रूप से इस्तेमाल के लिए होगा तथा इसका कार्य क्षेत्रीय निदेशक के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन रहेगा।

22. वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि भोजन, स्नैक्स, स्वीट्स इत्यादि की गुणवत्तात्मक व मात्रात्मक आपूर्ति की जाती है ऐसा न करने पर उस विशेष दिन पर आपूर्ति न किए गए/घटिया आइटम की कीमत समान राशि वेंडर से वसूली जाएगी। इसके अलावा, बैंक द्वारा लिए निर्णय अनुसार उचित कार्रवाई वेंडर के विरुद्ध की जाएगी I

23. अधिकारियों को चाय बनाकर देने तथा वहाँ रखी क्रॉकरी/कटलरी के लिए बैंक बिल्डिंग की विभिन मंजिलों पर स्थित पैंटरियों की रख-रखाव व साफ-सफाई के लिए वेंडर द्वारा दिये गए पैन्ट्री बॉय ज़िम्मेवार होंगे। पैन्ट्री बॉय वरिष्ठ अधिकारियों के केबिन में रखी क्रॉकरी/कटलरी को साफ रखने की भी व्यवस्था करेंगे।

24. वेंडर कथित ओएलडीआर चलाने के अलावा उक्त परिसरों में कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेंगे I कथित परिसरो में वह कोई बदलाव, बढ़ोतरी या फेर-बदल नहीं करेंगे।

25. वेंडर कथित ओएलडीआर में एक स्पष्ट स्थान पर शिकायत पुस्तिका रखेगा जिसमें शिकायतें तथा सुझाव, यदि कोई है, रिकार्ड की जाएंगी तथा यह शिकायत पुस्तिका क्षेत्रीय निदेशक या उसके प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी I वेंडर प्रत्येक शिकायत व सुझाव, जो भी मामला हो, के संबंध में उसके द्वारा की गई

कार्रवाई से क्षेत्रीय निदेशक को सूचित करेगा तथा क्षेत्रीय निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगा ।

26. . वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि कथित परिसरों या बैंक के फर्नीचर, फिक्सचर तथा फिटिंग्स तथा उसके द्वारा इस्तेमाल के लिए उसे दी गई अन्य आइटमों को उसके कर्मचारी या उसके द्वारा नियोजित एजेन्टों की ओर से कोई हानि या नुकसान या कोई उनसे चूक ना हो पाए। प्राकृतिक आपदा या वेंडर के नियंत्रण से बाहर यदि कोई टूट-फूट यह नुकसान व हानि होती है हालांकि उसकी ओर से पूरी सावधानी बरती गई हो, तो उसे जायज माना जा सकता है ।

27. करारनामे के इस खंड तथा अन्य प्रावधानों के तहत वेंडर की प्रतिभूति जमा के दायित्वों को पूरा किया जाएगा, वेंडर बैंक के पास रु 1,00,000.00 (रुपए एक लाख केवल) की राशि जमा करेगा तथा रखेगा। वेंडर के पास यह विकल्प होगा कि इस प्रतिभूति जमा को वह बैंक गारंटी के रूप में रखे।

    जब वेंडर, उसके एजेंट्स तथा उसके कर्मचारी कथित परिसरों को खाली कर देंगे तथा उपकरण, क्रॉकरी, कटलरी इत्यादि जो उन्हें सही अवस्था में दी गई थी, को भी बैंक को लौटा देंगे तो उसके बाद वेंडर को प्रतिभूति जमा वापस कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उपकरण, क्रॉकरी, कटलरी इत्यादि की कीमत समायोजित कर ली गई है। बैंक गारंटी, ठेका पूरा करने के बाद, वेंडर को सूचित करते हुए संबन्धित बैंक को वापस लौटा दी जाएगी ।

28. क्षेत्रीय निदेशक या उसके प्रतिनिधि, किसी भी समय, कथित ओएलडीआर तथा उसमें लगी हुई सभी आइटमों तथा फिक्सचर व फिटिंग्स का निरीक्षण कर सकते हैं। क्षेत्रीय निदेशक या उसकी ओर से उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किए किसी अन्य व्यक्ति को वेंडर पूरा सहयोग देंगे ।
    ठेके का अवार्ड देने से वेंडर या उसके कार्मिकों द्वारा यह अर्थ न लगाया जाए कि बैंक में एक प्रकार से उन्हें रोजगार दिया गया है या बैंक द्वारा दी गई किसी संपत्ति/इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दावा प्राप्त हो गया है ।

29. यदि वेंडर इस ठेके/करारनामे के अनुसार अपने दायित्वों /कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो बैंक के पास इस करारनामे को समाप्त करने का अधिकार है तथा वेंडर इस समाप्ति के घटित होने पर किसी हर्जाने का दावा नहीं करेगा। इस प्रकार के समाप्ति के नोटिस के आधार पर इस क़रारनामे की समाप्ति होगी। इस नोटिस या कोई अन्य पत्राचार पता या नोटिस देने के लिए पता वेंडर द्वारा दिया गया वेंडर का पता होगा ।
30. किसी भी एक पार्टी द्वारा लिखित में एक माह का नोटिस देकर इस करारनामे को समाप्त किया जा सकता है ।

31. इस ठेके की अवधि के दौरान वेंडर द्वारा अपनी सेवाएं बंद/रोक देने की स्थिति में कथित परिसरों में इसके अधिकारियों को ओएलडीआर सेवाएं देने के लिए बैंक वैकल्पिक व्यवस्था करने का हकदार होगा । इस संबंध में बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए वेंडर से वसूली करने का बैंक हकदार होगा।

32. यदि बैंक साफ-सफाई या वेंडर द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं में कोई कमी पाता है, बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इसे बाहरी व्यक्तियों/बैंक के स्टाफ द्वारा इस कार्य को पूरा करवाए तथा इस संबंध में वहन की गई लागत वेंडर से वसूल करें ।

33. वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि वेंडर या उसके कर्मचारी या एजेंट्स द्वारा भूल चूक या लापरवाही से बैंक की औद्योगिक शांति को कोई नुकसान न हो ।

34. बैंक को यह हक है कि वेंडर से या उसे देय बिलों से इसकी कटौती करें , उस राशि की जिसे बैंक को किसी कानून के तहत, वेंडर या उसके कर्मचारी या एजेंट्स की किसी चूक या लापरवाही के कारण भुगतान करना पड़ा है ।

35. ठेके की समय पूर्व समाप्ति होने पर, वेंडर अपने कर्मचारियों तथा एजेंट्स को तथा उसकी सभी वस्तुओं को परिसरों से हटा लेंगे ऐसा न करने पर वेंडर को बिना किसी नोटिस दिए वेंडर की लागत व जोखिम पर क्षेत्रीय निदेशक ऐसा करने का हकदार होगा । वेंडर को हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा उसके इस कार्य से कथित परिसरों या बैंक की किसी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे ।

36. यह ठेका, यदि कथित ओएलडीआर को चलाने के लिए वेंडर को प्रदान किया जाता है, तो प्रकृति से व्यक्तिगत होगा तथा इसे वेंडर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा /हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो बैंक के पास यह अधिकार है कि वह बिना पूर्व नोटिस के इस ठेके को समाप्त कर दें।

37. वेंडर ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार हर्जाना अधिनियम 1923 तथा देश में मौजूद अन्य श्रम क़ानूनों के तहत आए सभी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा इन सांविधिक अपेक्षाओं का कोई उल्लंघन या अनुपालन नहीं होने पर कोई देयता आती है, तो बैंक के पास यह अधिकार है कि वह वेंडर के लंबित बिलों से समायोजन करें या अन्यथा से हुई हानि की सीमा तक उपलब्ध कानूनी उपायों द्वारा वसूली करें।

38. वेंडर द्वारा या इसके कर्मचारियों की ओर से की गई लापरवाही तथा इस करारनामे के तहत अपने दायित्वों को पूरा न कर पाने के कारण प्रचालन के क्षेत्रों में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को पहुंची चोट या मृत्यु को कवर करने वाली एक व्यापक सामान्य जवाबदेयी बीमा के लिए वेंडर करारनामे की पूरी अवधि के दौरान खर्च का वहन करेगा तथा वेंडर द्वारा इस संबंध में हुई चूक के कारण किसी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा ।

39. वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि यदि बैंक में काम करते समय वेंडर के कार्मिकों को या संपत्ति को जान माल की हानि होती है तो उसके कार्मिक या उसके कानूनी वारिस बैंक से किसी बीमा लाभ का दावा नहीं करेंगे ।

40. इस करारनामे से संबन्धित या इससे उत्पन्न हुई सभी कानूनी मुकदमे, कार्यवाहियां केवल चंडीगढ़ के न्यायालयों के अधीन होगी। यदि इस ठेके की शर्तों या इस ठेके से उत्पन्न किसी भी मामले के बारे में पार्टियों के बीच यदि कोई भी विवाद होता है, तो पार्टियां आपसी सहमति से एक माध्यस्थ की नियुक्ति द्वारा इसके समाधान का प्रयास करेंगे। यदि सहमति से एक माध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सकता है तो प्रत्येक पार्टी एक-एक माध्यस्थ नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा,जो इस हेतु एक निर्णायक को शामिल करेगा। माध्यस्थ या माध्यस्थों ,जैसा भी मामला हो ,का निर्णय ऐसे विवाद या विवादों के संबंध में अंतिम होगा ।

41. वेंडर को मैं सोडेक्सो एस वी सी इंडिया प्रा. लि. से सम्बद्ध होना पड़ेगा तथा सोडेक्सो मील कार्ड तथा /या नकद भुगतान पर स्टाफ सदस्यों को चाय/लंच/स्नैक्स/ड्रिंक्स बेचने होंगे।

42. भुगतान की शर्तें

a. कोट की गई दरें (सभी संबन्धित करों तथा सेवा चार्ज को छोड़कर) एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगी। इस ठेके की वैधता अवधि के दौरान दरों में वृद्धि करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

b. भुगतान **मासिक आधार** पर किया जाएगा । संबंधित दस्तावेजों की प्रस्तुति करने पर अधिकारियों के लिए दी गई सेवाओं से संबन्धित जीएसटी का भुगतान केटरर को बैंक द्वारा किया जाएगा। टीडीएस, सरचार्ज व एजुकेशन सेस (जैसा लागू हो) तथा सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए गए अन्य कर की आय कर अधिनियम अनुसार स्त्रोत से कटौती की जाएगी।

<u>**स्टाफ कैंटीन**</u>

1. ठेका शुरुआत में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसे बैंक के निर्णय पर आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा ।

2. दरें कोट करने से पहले वेंडर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जगह का दौरा कर लें तथा कार्य को भली भांति समझ लें ।

3. अनुमोदित / सहमति प्राप्त दरें एक वर्ष के लिए लागू रहेंगी तथा आवश्यकता पड़ने पर, केवल नवीनीकरण के समय इस पर पुन: विचार किया जा सकता है। संविदा की अवधि के दौरान दरों में वृद्धि के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

4. वेंडर को सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ़ की बैंक बिल्डिंग के भूतल पर दी गई जगह में स्टाफ कैंटीन चलानी होगी । हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर वेंडर को बैंक परिसरों में किसी अन्य स्थान से स्टाफ कैंटीन चलाने के लिए कहा जा सकता है ।

5. मांग अनुसार बैंक के स्टाफ सदस्यों के लिए स्नैक्स, लंच, चाय तथा अन्य पेय पदार्थों के अच्छे स्तर के आइटमों को तैयार करने तथा परोसने के यह संविदा है। बैंक द्वारा बिना शुल्क के आवश्यक जगह, बिजली, पानी तथा इन्फ्रास्ट्रचर का इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, ईंधन का खर्च वेंडर द्वारा वहन किया जाएगा। खाद्य सामानों की दरों को तय करते समय उपर्युक्त उल्लिखित सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए। बैंक द्वारा कैंटीन में कम से कम टर्न ओवर पर कोई गारंटी नहीं होगी।

6. उच्च स्तरीय स्वच्छता बनाई रखी जाएगी। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए बर्तनों की सफाई व रखरखाव सख्ती से सुनिश्चित की जाएगी तथा फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, वाटर कूलर इत्यादि का सही रखरखाव सुनिश्चित करना होगा । यदि खाद्य सामग्री(यों) की गुणवत्ता असंतोषजनक /स्वच्छता रहित है या सेवाओं में चूक होती है या कोई कमी व टूट-फुट होती है तो, दंड के रूप में कटौतीयां की जाएगी जिस पर केवल बैंक निर्णय लेगा। रसोई पर बैंक द्वारा लगातार पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा किसी भी चूक पर सख्ती बरती जाएगी । भोजन स्वच्छता के साथ बनाया जाए तथा रसोई से निकाल कर इसे स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में रखा जाए तथा इसे सही से ढककर रखा जाए । खाना बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल इस्तेमाल किया जाए ।

7. इस्तेमाल किए जा रहे क्षेत्र की सामान्य साफ-सफ़ाई तथा रखरखाव के लिए वेंडर ज़िम्मेवार रहेगा ।

8. वेंडर को मै. सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्रा लि. से सम्बद्ध होना पड़ेगा तथा स्टाफ सदस्यों को सोडेक्सो मील कार्ड/या नकद भुगतान पर चाय/लंच/स्नैक्स /ड्रिंक्स बेचने होंगे।

9. **मेनू** – नमूना मेनू अनुलग्नक IV में संलग्न किया गया है

10. **केटरिंग स्टाफ** -

रसोई के साथ साथ सेवा स्टाफ वेंडर द्वारा नियोजित किया जाएगा तथा किसी भी श्रम कानून के नियोजन संबंधी उल्लंघन के लिए बैंक किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होगा। स्टाफ शिष्ट, अच्छे आचरण युक्त तथा सजग होने के अलावा साफ-सुथरी वेषभूषा में रहेंगे । उन्हें काम की मौलिक जानकारी होनी चाहिए । कार्यदिवसों पर सेवा समय के दौरान तथा सप्ताह के अंत में/सार्वजनिक अवकाशों पर बैंक की अपेक्षा अनुसार निर्णय लेने की क्षमता तथा प्राधिकारी शक्ति के साथ एक पर्यवेक्षक सेवा स्टाफ के साथ लाउंज में उपस्थित रहेगा । बैंक द्वारा जैसा निर्धारित किया गया है स्टाफ कैंटीन के कार्य में कार्यरत केटरिंग स्टाफ की आवधिक मेडिकल जांच वेंडर को करवानी होगी ।

11. ठेका समाप्ति का नोटिस -

किसी भी पार्टी द्वारा एक माह का नोटिस देकर इस व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है ।

12. पैन्ट्री /डाइनिंग एरिया का रखरखाव व देखभाल -

वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य के बाद हर दिन, पूरे दिन के कार्य की समाप्ति से पहले पैन्ट्री/डायनिंग हाल /चफिंग डिशेस तथा सभी क्रॉकरी व कटलरी साफ करके व्यवस्थित रखी जाती है। वेंडर को इसके स्टाफ द्वारा छोड़े गए खराब/बचे खुचे खाने को फेकवाना सुनिश्चित करना है तथा यह देखना है कि रसोई में दी गई डक्ट/आउटलेट ब्लॉक/खराब नहीं है ।

13. वेंडर इस ठेके का उप-ठेका नहीं करेगा। यदि इसका उल्लंघन किया गया तो, बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना किसी नोटिस के ठेके को समाप्त कर दें ।

14. .भोजन/अन्य खाद्य समान की गुणवत्ता/असंतोषजनक सेवा इत्यादि के बारे में यदि कोई विवाद होता है, तो अंतिम प्राधिकारी क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ होगा/होगी तथा वेंडर द्वारा उक्त निर्णय का पालन किया जाएगा ।

15. वेंडर लाउंज में केटरिंग सेवाओं के लिए नाबालिक बच्चों को नियोजित नहीं करेगा ।

16. वेंडर किसी भी परिस्थिति में स्टाफ कैंटीन में केरोसिन का इस्तेमाल नहीं करेगा ।

17. इस करारनामे का यह अर्थ/आशय न लिया जाए कि यह ठेका बैंक की ओर से रोजगार है और न ही इसके द्वारा बैंक की संपत्ति पर कोई दावा दिया गया है । ठेके को पूरे करने के बाद या जब भी बैंक निर्णय लेता है, वेंडर तथा उसके स्टाफ को तुरंत और शांति के साथ परिसरों को खाली करना होगा तथा बैंक द्वारा उन्हें पहले दी गई क्रॉकरी समान/सभी समान वापस बैंक को देना होगा ।

18. वेंडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपूर्ति की गई भोजन /स्वीट्स बेहतर गुणवत्ता के है, ऐसा न करने पर यदि इस तरह की शिकायतें कम से कम पाँच स्टाफ सदस्यों द्वारा रिकार्ड की जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी । क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा ।

19. बैंक द्वारा मांगी गई अन्य आनुषंगिक सेवा तथा जो नियम व शर्तों में शामिल नहीं हैं, पर हर समय अलग से समझौता किया जाएगा।

20. राज्य या केंद्र सरकार द्वारा लगाए सभी कारों जैसे सेवा कर, आय कर, लकसरी टैक्स इत्यादि वेंडर को वहन करने होंगे ।

21. नियोजित किए गए स्टाफ की बीमा पॉलिसी वेंडर द्वारा ली जाएगी।

22. वेंडर अपने कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार तथा आचरण के लिए ज़िम्मेवार होंगा तथा बैंक द्वारा उनके कर्मचारियों के विरुद्ध किसी शिकायत की स्थिति में, वेंडर उन्हें तुरंत हटा लेंगे।

अधोहस्ताक्षरी से किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क किया जा सकता है । संपर्क ब्योरा नीचे है :-

Tel : 0172 - 2722084 **ई-मेल**

वीना कश्यप

सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक)

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

चंडीगढ़

<u>अनुलग्नक I</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में ओएलडीआर के रखरखाव एवं संचालन के लिए आवेदन

भाग-I (तकनीकी बोली)

(सूचनाओं की सटीकता का सत्यापन करने के लिए फार्म में भरे गए विवरण के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य होने चाहिए)

प्रति

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
सेक्टर – 17
चंडीगढ़

क्रम सं	**विवरण**	**भरा जाने वाला विवरण**
1.	कैटरर / संविदाकार / कंपनी / फर्म का नाम	
2.	संगठन का स्वरूप (कंपनी /साझेदारी फर्म / स्वत्वधारिता)	
3.	मालिकों / साझेदारों / फर्म के निदेशकों / प्रभारी व्यक्तियों के नाम	क ख ग
4.	पंजीकरण का विवरण (पंजीकरण करने वाला प्राधिकरण / पंजीकरण की तारीख / पंजीकरण संख्या इत्यादि)	
5.	कारोबार प्रारंभ करने का वर्ष	
6.	पैन / टैन संख्या	
7.	पत्राचार के लिए डाक पता	
8.	संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों के टेलीफोन नंबर	
9.	संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों के मोबाइल नंबर	
10.	ई-मेल आईडी यदि कोई हो तो	

11.	क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान निष्पादित की गई संविदाओं के संबंध मे कोई सिविल मुकद्दमा / कानूनी कार्रवाई की गई या की जा रही है। यदि हां तो कृपया कार्य , नियोक्ता का नाम और मुकद्दमें का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें।	
12.	**अनुभव का विवरण:** (कृपया संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	

क्रम सं.	उन संस्थापनाओं का नाम जिनके लिए कैंटीन / कैटरिंग सेवाएं प्रदान की गई	उक्त संस्थापना के साथ अनुभव (वर्षों में)	अनुभव		उस संस्थापना में कितने स्टाफ-सदस्यों को नियुक्त किया गया था
			से	तक	

13.	वर्तमान में कंपनी / फर्म द्वारा नियुक्त किए गए कर्माचारियों की संख्या	
14.	उपरोक्त 13 में दी गई संख्या में से कितने कर्मचारी कुशल / अर्ध-कुशल और सुपरवाइजरी स्टाफ है	
15.	बैंक खाता संख्या, खाते का प्रकार, बैंक का नाम और शाखा	
16.	आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ सुपरवाइजरी स्टाफ की योग्यता और अनुभव	
17.	पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल राजस्व (वर्ष वार) (कृपया संबंधित प्रमाण-पत्र जैसे कि तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाते का विवरण संलग्न करें) 2015-16 2016-17 2017-18	

मैंने/ हमने आवदेन पत्र के अनुलग्नक में दिए गए पात्रता मानदंडों और निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और यह घोषणा करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दिया गया विवरण / सूचनाएं सही है और हम इस विषय बैंक के निर्णय का पालन करेंगे।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर एवं मुहर

<u>अनुलग्नक –II</u>

<u>कंपनी के पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए</u>

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
सेक्टर – 17
चंडीगढ़

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में अधिकारी लाउंज और डायनिंग कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैंटीन के रखरखाव एवं संचालन के लिए आवेदन</u>

यह आपके दिनांक .... (वेंडर द्वारा भरा जाए) के उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में प्रस्तुत है। मैं / हम उक्त नोटिस अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए में वर्णित सभी निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं।

2. मैं / हम सनद देते हैं कि खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों और नाश्ते की तैयारी और बिक्री से संबंधित नगर पालिका और अन्य विनियमों का अनुपालन करेंगे और इस विषय में आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त कर लेंगे। मैं / हम इस पर सहमत है कि हम किसी भी प्रकार के उल्लंघन अथवा इस वारंटी के कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप या उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी दावे अथवा मांग अथवा कार्रवाई या प्रक्रिया से बैंक को क्षतिपूरित करेंगे और क्षतिपूरित रखेंगे।

<u>भवदीय,</u>

<u>हस्ताक्षर :</u>

<u>नाम :</u>
<u>पदनाम :</u>
<u>स्थान :</u>
<u>दिनांक</u> :

अधिकारी लाउंज के लिए व्यंजन सूची

नोट : निम्नलिखित सभी मेनू केवल परिचायक है और बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी मेनू में संशोधन करने का अधिकार रखता है:

परोसे जाने वाली व्यंजनो की सूची

क) कच्ची सामग्री

(ए) रिफाइंड खाद्य तेल केवल ब्रांडेड कंपनियों जैसे कि सफोला / सनड्राप / फार्च्यून / धारा / स्वीकर का ही होना चाहिए।

(बी) सरसों का खाद्य तेल केवल ब्रांडेड कंपनियों जैसे कि पी मार्क / फार्च्यून / धारा का ही होना चाहिए।

(सी) मसाले ब्रांडेड कंपनियों जैसे कि कैच / एमडीएच / एवरेस्ट के ही होने चाहिए।

(डी) गेहूं का आटा केवल आशीर्वाद / अनपूर्णा / नेचर फ्रैश / पिलसबरी / शक्ति भोग का ही होना चाहिए।

(ई) चावल केवल ब्रांडेड कंपनियों जैसे कि कोहिनूर / इंडिया गेट / लाल महल इत्यादि के डूबर और बासमती ही होने चाहिए।

(एफ) अनाज केवल अच्छी गुणवता का ही हो।

(जी) कच्ची सब्जियां अच्छी गुणवत्ता की हो और पकाने से उन्हें अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए।

(एच) कॉमन नमक, काली मिर्च, कैच ब्रांड का चाट मसाला खाने की टेबल पर रखा होना चाहिए।

(ख) दैनिक लंच -(i) सूप – प्राकृतिक अर्थात् टमाटर / पालक / स्वीट कॉर्न / क्लियर सूप इत्यादि

(ii)- दाल – दाल मखनी / राजमा / छोले / पीली दाल

(iii) – हरी सब्जी – एक मौसमी सब्जी / एक उबली हुई / मिक्स पनीर / मशरूम की सब्जी

(iv) – दही / रायता

(v) – चावल / (बासमती) / प्लेन

(vi) – चपाती सादा

(vii) – पापड़

(viii) – सलाद – दो प्रकार की (हरी और अंकुरित)

(ix) – मिठाई / फ्रूट प्लेट – (एक) – (मिठाई में आइसक्रीम / गुलाब जामुन / हलवा / रसगुल्ला इत्यादि हो)

ग) विशेष लंच का विवरण

विशेष लंच	मद	व्यंजन सूची (मेनू)
प्रकार -I	i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi xii)	सूप – प्राकृतिक अर्थात् टमाटर / पालक / स्वीट कॉर्न / क्लियर सूप इत्यादि दाल – दाल मखनी / राजमा / छोले / पीली दाल हरी सब्जी – एक मौसमी सब्जी / एक उबली हुई / मिक्स पनीर / मशरूम की सब्जी दक्षिण भारतीय व्यंजन (सांभर / दही चावल/ रसम) (अनुरोध पर) विशेष व्यंजन जैसे कि पास्ता / नूडल्स / मनचूरियन दही / रायता चावल / (बासमती) / प्लेन चपाती सादा पापड़ सलाद – दो प्रकार की (हरी और अंकुरित) फ्रूट प्लेट – (एक) मिठाई / – (मिठाई में आइसक्रीम / गुलाब जामुन / हलवा / रसगुल्ला इत्यादि हो एक मांसाहारी व्यंजन
प्रकार II	i) ii) iii) iv) v)	सूप – प्राकृतिक अर्थात् टमाटर / पालक / स्वीट कॉर्न / क्लियर सूप इत्यादि दाल – दाल मखनी / राजमा / छोले / पीली दाल सब्जी – एक मौसमी सब्जी एक उबली हुई / एक विशेष पनीर दक्षिण भारतीय व्यंजन (सांभर / दही चावल/ रसम) (अनुरोध पर) विशेष व्यंजन जैसे कि पास्ता / नूडल्स / मनचूरियन दही / रायता

	vi) vii) viii) ix) x)	चावल / (बासमती) / जीरा पुलाव / फ्राइड राइस चपाती सादा / मिसी रोटी पापड़ / चटनी / अचार सलाद – तीन प्रकार की (हरी और अंकुरित तथा पीनट) फ्रूट– (दो प्रकार के) एक मांसाहारी व्यंजन मिठाई / – (मिठाई में आइसक्रीम / गुलाब जामुन / हलवा / रसगुल्ला इत्यादि हो स्पेशन नैपकीन के साथ
प्रकार III	i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi)	जूस / नारियल पानी / जलजीरा सूप – प्राकृतिक अर्थात् टमाटर / पालक / स्वीट कॉर्न / क्लियर सूप / प्याज / बादाम इत्यादि दाल – दाल मखनी / मक्खन के साथ राजमा / छोले / पीली दाल हरी सब्जी - एक सूखी एक ग्रेवी / करी के साथ सब्जी - पनीर / मशरूम / कोफ्टा वेज दक्षिण भारतीय व्यंजन (सांभर / दही चावल/ रसम) (अनुरोध पर) विशेष व्यंजन जैसे कि पास्ता / नूडल्स / मनचूरियन चावल / (बासमती) / जीरा पुलाव / फ्राइड राइस सादा रोटी, 2 भिन्न प्रकार की रोटी के अलावा (मिसी रोटी, नान, तंदूरी रोटी / लच्छा पराठा /स्टफ कुल्छा) रायता / दही बल्ला पापड़ / चटनी / अचार सलाद चार प्रकार की स्वीट डिश हॉट – 01 प्रकार

		स्वीट डिश कॉल्ड – दो प्रकार की जिसमें से एक आइसक्रीम (अमूल / वेरका / क्वालिटी की होनी चाहिए) फ्रूट तीन प्रकार के स्पेशल नैपकीन क्लॉथ के साथ नॉन वेज – दो प्रकार के

घ) चाय / काफी का विवरण (प्रति कप)

(i) चीनी की क्यूब – 02 अथवा सुगर फ्री - 2 सैशे

(ii) टी बैग – 01 (ताज महल / टाटा / रेड लेबल / लिप्टन) अथवा कॉफी के सैशे - 01 (नेसकफे / ब्रू)

(iii) दूध – 50 मिलीलीटर

(iv) उबला हुआ पानी

ड़) विशेष चाय /मेनू

क्रम सं	**मद**	**मेनू**
1.	सामान्य चाय	दो अच्छी गुणवत्ता की कुकीज (बेकरी) के साथ चाय
2.	मीडियम टी	i) बादाम/ रोस्टेड काजू/ स्टैंडर्ड स्वीट पीस (कोई एक) ii) समोसा /पनीर पकोड़ा iii) चाय / काफी
3.	हाई टी	i) बादाम/ रोस्टेड काजू/ स्टैंडर्ड स्वीट पीस (कोई एक) ii) वालनट केक / पेस्ट्री iv) वेज सैंडविच / ढोकला / समोसा /पनीर पकोड़ा (कोई दो) v) चाय / कॉफी

च) पेय पदार्थ एवं अन्य विविध व्यंजन

(i) मिनरल वाटर

(ii) फ्रूट जूस एवं अन्य शीतल पेय (बाजार दर पर)

(iii) मांग / आवश्यकता के अनुसार जलपान (बाजार दरों पर)

<u>अनुबंध – IV</u>

<u>स्टाफ कैंटीन के लिए व्यंजन सूची</u>

नोट :-<u>निम्नलिखित सारी व्यंजन सूचियां केवल सांकेतिक हैं और बैंक अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी व्यंजन सूची में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।</u>

<u>परोसी जाने वाली मदों की सूची</u>

(क) कच्ची सामग्री

क) खाद्य रिफाइंड तेल केवल सफोला / सनड्रॉप/फॉर्च्यून/धारा/स्वीकार जैसी ब्रांडेड कंपनियों का होना चाहिए।

ख) खाद्य सरसों का तेल केवल पी मार्क/फॉर्च्यून/धारा जैसी ब्रांडेड कंपनियों का होना चाहिए।

ग) केवल कैच/एमडीएच/एवरेस्ट जैसी ब्रांडेड कंपनियों के मसाले

घ) केवल आशीर्वाद/अन्नपूर्णा/नेचर फ्रेश/फिल्सबैरी/शक्तिभोग गेंहू का आटा।

ङ) चावल कोहिनूर/इंडिया गेट/लाल महल जैसी ब्रांडेड कंपनियों का डूबर और बासमती होना चाहिए।

च) अनाज अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए।

छ) कच्ची सब्जियां अच्छी गुणवत्ता की और खाना पकाने से पहले ठीक से धुली हुई होनी चाहिए।

ज) नमक, कालीमिर्च, कैच ब्रांड का चाट मसाला (खाने की मेजों पर रखे जाने वाले)

(ख) चाय/कॉफी का विवरण (प्रति कप) :-

1) सैपरेट टी :

i) शुगर क्यूब्स - 02

(i) टी बैग – 01 (ताज महला/टाटा/रेड लेबल/लिप्टन) या कॉफी पाउडर सैशे- 1 (नेसकैफे/ब्रू)

(ii) दूध – 50एमएल

(iii) उबला पानी

2) रैडीमेड टी

(ग) स्नैक्स मदें :-

i) ब्रेड पकौड़ा

ii) समोसा

iii) ऑमलेट

iv) मिठाई का पीस

(घ) लंच

लंच का प्रकार	व्यंजन सूची
सादी थाली	किसी भी प्रकार की दाल (राजमा, दाल मक्खनी, छोले, पीली दाल), मौसमी सब्जी, चावल हरी सब्जियों की सलाद, रायता/दही, सादी चपाती
स्पेशल थाली	किसी भी प्रकार की दाल (राजमा, दाल मक्खनी, छोले, पीली दाल), मौसमी सब्जी और स्पेशल सब्जी, चावल – सादे/वेज पुलाव, रायता/दही, सादी चपाती, हरी सब्जियों की सलाद, मिठाई का पीस

(ड) पेय व अन्य विविध मदें -

1. मिनरल वॉटर (बाजार कीमत पर)
2. फ्रूट जूस और अन्य कोल्ड ड्रिंक (बाजार कीमत पर)
3. मांग/आवश्यकता के अनुसार स्नैक्स (बाजार कीमत पर)

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक, चण्डीगढ़ में ओएलडीआर में खानपान के लिए निविदा</u>

<u>भाग</u> <u>II कार्य के क्षेत्र के आधार पर –</u> **<u>केवल मूल्य बोली</u>**

नोट: बैंक कोई प्रतिबद्धता नहीं देगा।

निविदा की मूल्य बोली का मूल्यांकन करते समय, विभिन्न मदों की कोट की गई दरों पर निम्नलिखित वेट निश्चित किया जाएगाः

क्रम सं.	**मदें**	**वेट**
(क)	नॉर्मल चाय/कॉफी/ताज़ा लाइम वॉटर/बटर मिल्क	35 %
(ख)	स्पेशल चाय/कॉफी	15 %
(ग)	हाई टी	10 %
(घ)	बेसिक लंच (शाकाहारी) / (मांसाहारी)	20 %
(ड)	स्पेशल लंच (शाकाहारी) / (मांसाहारी)	20 %

दिनांक

स्थान:

संविदाकार(रों) के हस्ताक्षर

एक माह में मदों की मात्रा के सांकेतिक अनुमान नीचे दिए गए हैः

मदें	**एक माह में परोसी जाने वाली मात्रा की औसत संख्या**
नॉर्मल चाय/कॉफी/ताज़ा लाइम वॉटर/बटर मिल्क	15,000
स्पेशल चाय/कॉफी	200
हाई टी	50
बेसिक लंच (शाकाहारी) / (मांसाहारी) (ओएलडीआर)	600
स्पेशल लंच (शाकाहारी) / (मांसाहारी) (ओएलडीआर)	300
स्पेशल लंच टाइप III	50

नोट:

1. बैंक उपर्युक्त मदों की सांकेतिक मात्रा या न्यूनतम उपभोग पर कोई प्रतिबद्धता नहीं देगा। भुगतान केवल वास्तविक उपभोग के आधार पर किया जाएगा।

2. ओएलडीआर में बेसिक लंच के लिए बोलीदाता द्वारा कोट की जाने वाली दरें 110/-रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

3. बोलीदाताओं को सभी मदों के लिए दरें कोट करनी होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक, चण्डीगढ़ में खानपान व्यवस्था के लिए आवेदन

(वित्तीय बोली भाग-II)- अधिकारी लाउंज और स्टाफ कैंटीन

से:

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17
चण्डीगढ़

अधिकारी लाउंज

I. सामान्य लंच/डिनर/स्नैक्स- (निविदा सूचना के अनुबंध III के अनुसार व्यंजन सूची)

क्र.सं.	विवरण	मदों की दर
1	शाकाहारी लंच	रुपये -
		शब्दों में -
2	मांसाहारी लंच	रुपये -
		शब्दों में -
3	चाय	रुपये -
		शब्दों में -
4	कॉफी प्रति कप	रुपये -
		शब्दों में -
5	स्नैक्स	रुपये -
		शब्दों में -

II. स्पेशल चाय/पेयजल-

क्र.सं.	विवरण	मदों की दर
1	बैठक/सम्मेलन/संगोष्ठी में नॉर्मल टी	रुपये -
		शब्दों में -
2	बैठक/सम्मेलन/संगोष्ठी में मीडियम टी	रुपये -
		शब्दों में -
3	बैठक/सम्मेलन/संगोष्ठी में हाई टी	रुपये -
		शब्दों में -
4	गिलास में दी जाने वाली कोल्ड ड्रिंक (200 एमएल)	रुपये -
		शब्दों में -

5	जूस (200 एमएल)	रुपये -
		शब्दों में -
6	नींबू पानी (200 एमएल मीठा/नमकीन)	रुपये -
		शब्दों में -

<u>III. स्पेशल लंच/ डिनर -</u>

1	स्पेशल शाकाहारी लंच/डिनर टाइप I	रुपये -
		शब्दों में -
2	स्पेशल मांसाहारी लंच/डिनर टाइप I	रुपये -
		शब्दों में -
3	स्पेशल शाकाहारी लंच/डिनर टाइप II	रुपये -
		शब्दों में -
4	स्पेशल मांसाहारी लंच/डिनर टाइप II	रुपये -
		शब्दों में -
5	स्पेशल शाकाहारी लंच/डिनर टाइप III	रुपये -
		शब्दों में -
6	स्पेशल मांसाहारी लंच/डिनर टाइप III	रुपये -
		शब्दों में -

<u>स्टाफ कैंटीन</u>

<u>चाय/लंच/स्नैक्स- (निविदा सूचना के अनुबंध IV के अनुसार व्यंजन सूची)</u>

क्र.सं.	विवरण	मदों की दर
1	चाय (1 कप)	रुपये -
		शब्दों में --
2.	कॉफी	रुपये. -
		शब्दों में --
2	लंच टाइप I – साधारण थाली	रुपये. -
		शब्दों में --
3	लंच (टाइप II – स्पेशल थाली)	रुपये -
		शब्दों में --
4	मिठाई का पीस	रुपये -
		शब्दों में - -
5	ऑमलेट (2 अण्डों का)	रुपये -
		शब्दों में --
6	मीट/चिकन	रुपये -
		शब्दों में --
7	ब्रेड पकौड़ा	रुपये. -
		शब्दों में --
8	दही प्लेट (150 ग्राम)	रुपये. -

		शब्दों में - -
9	सब्जी या दाल (प्रति प्लेट)	रुपये. -
		शब्दों में --
10	चावल (प्लेट)	रुपये. -
		शब्दों में -–
12	अण्डा करी (2 अण्डों की)	रुपये. -
		शब्दों में --
13	सब्जी (पनीर)	रुपये. -
		शब्दों में --
14	कोल्ड ड्रिंक (300 एमएल)	रुपये -
		शब्दों में --
15	समोसा (एक)	रुपये -
		शब्दों में --

उपर्युक्त दरों में लागू कर, शुल्क, कर या लागू अन्य सांविधिक भुगतान शामिल हैं। मैं/हम जानता हूं/ जानते हैं कि सभी भुगतान, भुगतान के समय पर लागू टीडीएस और या जीएसटी के अधीन होंगे। मैं/हम निविदा (तकनीकी बोली) के भाग I में बैंक द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

हस्ताक्षर

(फर्म का नाम और सील)
दिनांक: